(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2021-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची । - 5% में, क्रम संख्या 259क के समक्ष , कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “9503” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची । के पश्चात , सूची 1 में, क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत::स्थापित किया जाएगा, यथा -

“(231). डायथाइलकार्बामाज़िन”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

[F. No. 354/53/2021]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2020-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 मार्च, 2020, जिसे सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।